न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 27/2019
3. उनवान : 1. अजय कुमार पुत्र आशाराम जाट
   2. मांगीलाल पुत्र आशाराम जाट
   3. गिरधारी पुत्र आशाराम जाट
   4. मनोहर लाल पुत्र आशाराम जाट
   5. संज्या देवी पत्नी मोहन लाल
   6. राजेश पुत्र मोहन लाल
   7. धर्मेन्द्र पुत्र मोहन लाल
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जोरपुरा जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
   8. कमलेश पुत्री मोहन लाल पत्नी कलिप फगोडिया
   9. सुनीता पुत्री मोहन लाल पत्नी अजीत फगोडिया
   समस्त जाति जाट निवासी 64, 65 हरी नगर रेलवे फाटक झोटवाडा जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 31/07/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी अपीलांट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम माछरखानी, पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1026 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा जो पूर्व राजस्व ग्राम जोबनेर था। जिसमें शुरू से ही अपीलान्ट के पिता व दादा आशा पुत्र मेघा जाट व अन्य काबिज काश्त रहे, जिनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। तब से बतौर काबिज काश्तकार खातेदार अपीलान्ट चला आ रहा है। संवत 2060 से 2063 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात् माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1026 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि रही है। जिस पर अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जिसको दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 14/7/2004 को माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम तस्दीक कर दिया।

अपील आधार में अंकित किया गया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 1026 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा थे, जो प्रारम्भ में आशा पुत्र मेघा व अन्य काबिज काश्त रहा, के उपरान्त आशा पुत्र मेघा के नाम दर्ज हुई, की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई तब से लेकर आज तक अपीलान्ट उक्त भूमि पर

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

आदेश दिनांक 14/8/24 द्वारा प्रथम लाइन में राजस्व ग्राम "माछरखानी" के स्थान पर "जोरपुराजोबनेर" संशोधित किया

अतिरिक्त कलक्टर

काबिज काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भूमि से कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर दिया। सन् 2004 में अर्थात् संवत 2060 से 2063 में 51 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी को हस्तानान्तरित कर दिये जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट का नाम बतौर कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था, यह अंकन स्वतः ही नहीं होते हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। उक्त भूमि 1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08/02/1952 का माफी माताजी ज्वाला जी के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज नहीं थी, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आरटीएक्ट के प्रावधानों की पालना में भूमि निरन्तर कृषको के नाम दर्ज रही। जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे एवं जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी। वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज नही थी, के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूम्पशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकरण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट के पूर्वधिकारी खातेदार हो गये। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमाक 4-3(2) राज.6/2007 दिनांक 24/5/2007 में स्पष्ट निर्देश है कि गलत ढंग से कृषको का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात के रिकॉर्ड बाबत् हल्का पटवारी से दिनांक 29/6/2019 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर माताजी ज्वाला जी का नाम दर्ज देखकर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 14/7/2004 के द्वारा तहसीलदार फुलेरा ने आपका नाम हटाकर उक्त नाम अंकित कर दिया। जिस पर अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 229 की नकल प्राप्त कर अपील तैयार कर अविलम्ब अदालत हाजा में प्रस्तुत की है। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नही हैं तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नही देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीको से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारो से वंचित कर दिया गया हों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो का उल्लघंन हुआ, जो उक्त प्रकरण में हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को नरम रुख अपनाते हुये डिले कण्डोन कर देना चाहिए। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि जहां पर विधिक बिन्दू निहित हो वहां पर मियाद के तथ्य पर न्यायालय को सहानुभूति रखनी चाहिए। इस बाबत् विभिन्न न्यायालयों के दृष्टान्त हैं जो निम्नांकित है. आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 238, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 228, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1041, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 829, आर.आर.टी. 2006-07 पेज 443 है।

अन्त में अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 229 आदेश दिनांक 14/7/2004 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तरण, जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, 2062 से 2065 एवं खसरा गिरदावरी 2023 से 2026 व 2039 से 2042 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अतिरिक्त कलक्टर
(द्वितीय) जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। अपील के सन्दर्भ में तहसीलदार (भू.अ.) जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण से जवाब एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तहसीलदार जोबनेर ने जवाब पत्रांक 2559 दिनांक 18.06.2024 एवं मूल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्रेषित की।

तहसीलदार जोवनेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि हाल खसरा नंबर 1026 राजस्व ग्राम जोरपुरा जोबनेर के वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–78 के खाता संख्या 84 पर माफी मंदिर श्री माताजी ज्वाला जी हिस्सा पूर्ण खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 1026 तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर के भूमि एकीकरण संवत् 2019 के क्रम संख्या 656 खाता नंबर 659 के कॉलम संख्या 3 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी महंत श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र श्री कर्ण सिंह जी जाति राजपूत साकिन विराजमान देह है व कॉलम संख्या 5 में आशा पुत्र मेघा श्योलाल पुत्र चिमना जाति जाट साकिन देह का इन्द्राज है। उक्त खसरा नंबर 1026 भूमि एकीकरण संवत् 2019 के मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 2368, 2369 से मिलकर बना हुआ है। साबिक खसरा नंबर 2368 तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर के भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) खतौनी बन्दौबस्त संवत 2011 के क्रम संख्या 763 खाता संख्या 366 के कॉलम संख्या 3 में रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नंबर 13 व कॉलम नंबर 4 में माफी रामकरण वगैरह मजफुर व कॉलम नंबर 5 में आशा वल्द मेघा व श्योलाल वल्द चिमना कोम जाट सा. देह मु.क.हि. बराबर का इन्द्राज है। साबिक खसरा नंबर 2369 का तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर की भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग खतोनी बन्दोबस्त सवत् 2011 का रिकार्ड जीर्ण–शीर्ण होने से उक्त खसरा नंबर का रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हाल खसरा नंबर 1026 राजस्व ग्राम जोरपुरा जोबनेर के जमाबंदी संवत 2053–61 के खाता संख्या 9 पर आशा पुत्र मेघा कोम जाट सा० देह रिकॉर्ड दर्ज था तदुपरान्त नामान्तरण संख्या 219 दिनांक 20.05.04 से खातेदार आशा पुत्र मेघा कौ जाट के फौत होने पर विरासत एवं अग्रिम हकत्याग के द्वारा इसके बजाय अजय कुमार भांगीलाल गिरधारीलाल मोहनलाल मनोहरलाल पि० आशा हिब. कौम जाट के नाम विरासत का नामान्तरण स्वीकार हुआ व नामान्तरण संख्या 229 दिनांक 14.07.04 सम्पूर्ण खाता माफी मंदिर श्री माताजी ज्वालाजी के नाम स्वीकार हुआ। क्रमांक प.2(4) राज/4/9–37 जयपुर दिनांक 13.12.91 के एवं तहसील आदेश क्रमांक/भू–अ/92/1036–1106 दिनाक 12.03.92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मदिर माताजी ज्वालाजी के नाम का नोट अंकित का इन्द्राज है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलांट के पूर्वज हाल खसरा नम्बर 1026 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रेमि माछरखानी में काबिज काश्त रहे। जिनकी विरासत अपीलांट के नाम दर्ज हुई। संवत 2060 से 2063 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात् माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम दर्ज कर अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिए अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 14/7/2004 को माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी के नाम तस्दीक कर दिया। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय उक्त भूमि अपीलांट के पिता आशा पुत्र मेघा काबिज काश्त थे। सन् 2004 में अर्थात् संवत 2060 से 2063 में 51 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलांट के खातेदारी हक समाप्त कर उक्त भूमि के अधिकार माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी को हस्तांरित कर दिए। अपीलान्ट का नाम बतौर कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था, यह अंकन स्वतः ही नहीं होते हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। 08/02/1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने तक उक्त भूमि माफी

आदेश दिनांक 14/8/24 द्वारा पैरा 3 के लाइन 3 में "माछरखानी" के स्थान पर "जोरपुरा जोबनेर" संशोधित किया।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

माताजी ज्वाला जी के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज नहीं थी, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आरटीएक्ट के प्रावधानों की पालना में भूमि निरन्तर कृषको के नाम दर्ज रही। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज नही थी, के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/5/2007 में स्पष्ट निर्देश है कि गलत ढंग से कृषकों का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।

सुयोग्य अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात के रिकॉर्ड बाबत् हल्का पटवारी से दिनांक 29/6/2019 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर माताजी ज्वाला जी का नाम दर्ज देखकर अंदर मियाद न्यायालय में अपील पेश की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 229 आदेश दिनांक 14/7/2004 को अपास्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नंबर 1026 तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर के भूमि एकीकरण संवत् 2019 के कॉलम संख्या 5 में आशा पुत्र मेघा श्योलाल पुत्र चिमना जाति जाट साकिन देह का इन्द्राज है। खसरा नं. 2368 व 2369 से मिलकर ख.नं. 1026 बना है। खसरा नं. 2368 के कॉलम नंबर 5 में आशा वल्द मेघा व श्योलाल वल्द चिमना कोम जाट सा. देह मु.क.हि. बराबर का इन्द्राज है। हाल खसरा नंबर 1026 राजस्व ग्राम जोरपुरा जोबनेर के जमाबंदी संवत 2053–61 के खाता संख्या 9 पर आशा पुत्र मेघा कोम जाट सा० देह रिकॉर्ड दर्ज था तदुपरान्त नामान्तरण संख्या 219 दिनांक 20.05.04 से खातेदार आशा पुत्र मेघा कौ जाट के फौत होने पर विरासत एवं अग्रिम हकत्याग के द्वारा इसके बजाय अजय कुमार मांगीलाल गिरधारीलाल मोहनलाल मनोहरलाल पि० आशा हिब. कौम जाट के नाम विरासत का नामान्तरण स्वीकार हुआ व नामान्तरण संख्या 229 दिनांक 14.07.04 सम्पूर्ण खाता माफी मंदिर श्री माताजी ज्वालाजी के नाम स्वीकार हुआ। क्रमांक प.2(4) राज/4/9–37 जयपुर दिनांक 13.12.91 के एवं तहसील आदेश क्रमांक/भू–अ/9?/1036–1106 दिनाक 12.03.92 की पालना में सम्पूर्ण खाता माफी मदिर माताजी ज्वालाजी के नाम का नोट अंकित का इन्द्राज है।

अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण राज्य सरकार के आदेशों की पालना में सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया उपरान्त खोला गया है, जो विधि सम्मत है। अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्ष कार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है। RRT 2018(1) Balmet & Others v/s State of Rajasthan में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि "Delay is not fatal when the mutation is illegal"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब /रिपोर्ट के पैरा सं0 2 व पैरा सं0 3 व पैरा सं0 4 पर निम्नानुसार अंकित है:–

अतिरिक्त [illegible]
[illegible] जयपुर

पैरा सं0 2:– उक्त खसरा नंबर 1026 तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर के भूमि एकीकरण संवत 2019 के क्रम संख्या 656 खाता नंबर 659 के कॉलम संख्या 3 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी मंहत श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र श्री कर्ण सिंह जी जाति राजपूत साकिन विराजमान देह है व कॉलम संख्या 5 में आशा पुत्र मेघा श्योलाल पुत्र चिमना जाति जाट साकिन देह का इन्द्राज है।

पैरा सं0 3:– उक्त खसरा नंबर 1026 भूमि एकीकरण संवत् 2019 के मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 2368, 2369 से मिलकर बना हुआ है।

पैरा सं0 4:– साबिक खसरा नंबर 2368 तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर के भू प्रबन्ध (सैटलमेन्ट विभाग) खतौनी बन्दौबस्त संवत 2011 के क्रम संख्या 763 खाता संख्या 366 के कॉलम संख्या 3 में रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नंबर 13 व कॉलम नंबर 4 में माफी रामकरण वगैरह मजफुर व कॉलम नंबर 5 में आशा वल्द मेघा व श्योलाल वल्द चिमना कोम जाट सा देह मु.क. हि. बराबर का इन्द्राज है।

तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न भूमि एकीकरण जमावन्दी ग्राम जोबनेर तहसील सांभर जिला जयपुर संवत 2019 के क्रम संख्या 656 खाता नम्बर 659 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में उपरोक्त (माफी मंदिर श्री माताजी ज्वालाजी महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत सा० विराजमान देह अंकित है तथा कॉलम 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, श्रेणी कृषक में आशा पुत्र मेघा श्योलाल पुत्र चिमना जाति जाट सा० देह, कॉलम सं0 6 नम्बर खसरा मय ग्राम क्षेत्र में 1026 तथा कॉलम 7 क्षेत्रफल में 22 बीघा 15 बिस्वा अंकित है।

भू–प्रबन्ध (सैट्लमेन्ट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर साल 2011से 2029 के क्रम संख्या 763 खाता नम्बर 366 के कॉलम नंबर 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंहजी पट्टी नं0 13 कॉलम नं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, श्रेणी कृषक में आशा वल्द मेघा व श्योलाल वल्द चिमना कौम जाट सा०देह हि० बराबर अंकित है। भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान के मिलान क्षेत्रफल ग्राम जोबनेर तहसील सांभर जिला जयपुर के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1026 क्षेत्रफल 22 बीघा 15 बिस्वा गत खसरा नंबर 2368 क्षेत्रफल 8 बीघा 12 बिस्वा व गत खसरा नंबर 2369 क्षेत्रफल 14 बीघा 3 बिस्वा से मिलकर बना है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) जमाबन्दी ग्राम जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर संवत 2011 से 2029 के क्रम संख्या 650 खाता नंबर 260 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम आदि व निवास स्थान में राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी पट्टी नंबर 13, कॉलम नंबर 5 नाम कृषक, पिता का नाम, निवास स्थान में आशा वल्द मेघा व सोजा वल्द चमना कौम जाट सं0 जोरपुरा व हिरसा बराबर मु0 क0 अंकित है। कॉलम नंबर 6 नाम खसरा मय खेत में खसरा नंबर 2369 कॉलम संख्या 7 क्षेत्रफल में 15 बीघा 20 बिस्वा अंकित है।

तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नामान्तकरण रजिस्टर प्रति ग्राम जोरपुरा जोबनेर पटवार हल्का जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान के नामांतकरण संख्या 329 बाबत खसरा संख्या 1026 क्षेत्रफल 22 बीघा 15 बिस्वा का नामांतकरण अजय कुमार भागीरथ, गिरधारीलाल, मोहनलाल, मनोहरलाल पि0 आशा ब0हि0ब0 कौम जाट सा0 देह से माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वालाजी के नाम दिनांक 14/07/2004 को तहसीलदार (भू. अभिलेख) फुलेरा मु. सांभरलेक द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें अंकित किया गया है "राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13/12/91 की पालनार्थ पुजारी का नाम विलोपित किया गया क्रमांक क. 2(ब)राज

अतिरिक्त कलक्टर
(प्रथम) जयपुर

4/10/37 जयपुर जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व–5/2003/3231 दि० 20/03/2003 व देवस्थान के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/19/दिनांक 06.03.03, श्रीमान जी निवेदन है मुताबिक आदेश व मीटिंग में दिए गए मौखिक आदेशानुसार माफी मन्दिर के नाम नामान्तकरण भरकर वास्ते जांच एवं उचित आदेशार्थ पेश है।"

तहसीलदार व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध जमाबन्दियों संवत 2011 से 2029 में खसरा नंबर 2368 व 2369 राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंहजी के नाम (भोक्ता) दर्ज थी तथा काश्तकार आसा वल्द मेघा व सोला वल्द चमना कौम जाट थे। भूमि एकीकरण जमाबन्दी संवत 2019 में खसरा नंबर 1026 नाम भोक्ता माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वालाजी महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंहजी पुत्र श्री कर्ण सिंह जाति राजपूत अंकित था परन्तु काश्तकार आशा वल्द मेघा श्योला पुत्र चिमना जाति जाट थे। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गत खसरा नंबर 2368 व 2369 मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी की जागीर है, जिसके काश्तकार आशा वल्द मेघा सोला वल्द चमना थे अर्थात खसरा नम्बर 2368 व 2369 जागीरदार के खुदकाश्त में नहीं थे। गत खसरा नंबर 2368 व 2369 के एकीकरण से नया खसरा नंबर 1026 बना, जिसका मुताबिक एकीकरण जमाबन्दी 2019 जागीरदार (भोक्ता) कॉलम में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वालाजी महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंहजी थे, जिसमें काश्तकार आशा वल्द मेघा व सोला वल्द चमना थे अर्थात खसरा नंबर 1026 न तो मन्दिर की खुदकाश्त में था, न ही महन्त श्री रावल नरेन्द्रसिंह की काश्त में था।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0क्र–3(2) राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24/5/2007 के पैरा सं0 3 में अंकित किया है कि "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि० 13–12–91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। पैरा सं० 5 में अंकित किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

न्यायिक दृष्टांत Rajasthan High Court Citation 2015 (4) RLW 2721 Tara & Ors. V/s State of Rajasthan & Anr. Page No. 2744 के पैरा संख्या 48–

"In order to summarize the answers, the questions framed by the Court and our decisions on the questions are stated as below:-

"Question no.(i) Whether the land held in Jagir, by Hindu Idol (deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari of the deity or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, such Idol being treated as a perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity or will such land be regarded as held in the tenancy by the person cultivating such land as tenant of a deity?

Answer: The question no. (i) is decided in favour of the State and against the Shebait/Pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act of 1952. The land held in Jagir by Hindu idol

(deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the State, after the Jagirs Act of 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State. Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Purjari of Hindu Idol (deity) became khatedari land of such tenant. The name of Hindu Idol (deity) from such land had to be expunged from the revenue records with Shebait/Pujuri having no right to claim the land as Khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfers to be resumed by the State.

Question no. (ii) What are the rights of the Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebaits/Pujari on the date of resumption of such Jagir, under the provisions of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952?

Answer:- The Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such Jagir under the provisions of the Jagirs Act of 1952 did not have any rights except in khudkasht land cultivated by Shebalt/Pujari either by themselves or by hired labour or servant engaged by them for the benefit of the expenses of the temple including sewa puja. All those lands let out by them to the tenants or sub-tenants were resumed by the Jagirs Act of 1952 and that the Hindu Idol (deity) lost all the rights in such jagir lands.

Question no.(iii) Whether such a Jagir land/Muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol (deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) can be alienated by them ? If so, what is the effect?

Answer:- The Jagir land/Muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol(deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) by the Jagirs Act of 1952 will not give them any right nor they could alienate the land. The alienation made by them of such land which was resumed/acquired by the State Government and for which claims were made and settled before the Jagir Commissioner, would be null and void and will have no effect.

Question no.(iv) Whether any person can acquire right by adverse possession in the lands of aforesaid nature against the holder ?

Answer:- No person can acquire right by adverse possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars. The limitation applicable under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser will be applicable. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 being a Special Act, will prevail and the provisions of Section 27 of the Limitation Act will not apply for claiming adverse possession on such lands.

Question No.(v) Whether any time limit can be fixed for reference u/s 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and u/s 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity). If so, to what extent?

Answer:- No time limit has been fixed for reference under Section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity), and thus a reference can be made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of each case. Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land."

तहसीलदार द्वारा प्रेषित नामान्तकरण संख्या 229 की प्रति में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.12.91 का उल्लेख किया गया है परन्तु राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–2(4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 के किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/07/19 दिनांक 25/11/11 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र क्रमांक प. 2(4)राज–4/98/37 के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रादभूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा दिनांक 31/12/91 की मंशा के विरुद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था।

हस्तगत प्रकरण में खसरा नं. 1026 (पुराना ख.नं. 2368 व 2369) मुताबिक सैटलमेण्ट जमाबंदी संवत 2011–2029 तथा मुताबिक एकीकरण जमाबंदी संवत 2019 के न तो मंदिर श्री माताजी ज्वालाजी की खुदकाश्त भूमि है, न ही महंत श्री रावल नरेन्द्र सिंह द्वारा काश्त भूमि है। उपर्युक्त दोनों ही जमाबंदियों में काश्तकार के कॉलम में काश्तकार कृषक आशा पुत्र मेघा व श्योलाल पुत्र चिमना का नाम अंकित है। खसरा नम्बर 1026 ग्राम जोबनेर की 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कृषक आशा पुत्र मेघा व श्योलाल पुत्र चिमना को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 से होती है। उक्त खातेदारी अधिकार विरासतन अन्तरण व अन्य अन्तरणों से संवत 2054 से 2057 की जमाबंदी तक जारी रहे। जिसकी पुष्टि संवत 2038–2041, 2042–2045, 2046–2049, 2050–2053, 2054–2057, की जमाबंदियो से होती है। 2058–2061 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 1026 के खातेदार काश्तकार के रूप में अजय कुमार, मांगीलाल, गिरधारीलाल, मोहनलाल, मनोहरलाल पि० आशा का नाम दर्ज है। इसी जमाबंदी में मंदिर माफी का नोट अंकित किया गया है इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में. खसरा नम्बर 1026 ग्राम जोबनेर में आशा पुत्र मेघा व श्योलाल पुत्र चिमना को खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर निरन्तर जारी रहे, जिन्हें बिना विधिक प्रक्रिया, बिना जांच, नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 14/7/04 द्वारा विलोपित कर दिया गया, जोकि दिनांक 13.12.91 को जारी परिपत्र/पत्र की भावना के खिलाफ था। तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब/रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1026 के सम्बन्ध में कोई रेफरेन्स किए जाने या कोई रेफरेन्स कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित होने बाबत उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजी साक्ष्यों, रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि तत्समय राजस्व कार्मिकों व तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए व बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए उक्त नामांतकरण दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण व अविधिक होने के कारण निरस्त योग्य है। नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 14/07/2004 विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 14/07/2004 न्यायालय तहसीलदरा फुलेरा, जिला जयपुर खारिज किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर